सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.11.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जनपद के टॉप–10 अपराधी को हत्या करने के आरोप में हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 1,00,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप **जनपद के टॉप–10 अपराधी को हत्या करने के आरोप में** सश्रम आजीवन कारावास व रु0 01 लाख के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 01.10.2021 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम देवरिया कला में एक महिला व उसकी 02 पुत्रियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना खरगूपुर पुलिस ने मात्र 03 घण्टे में घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पति ओम प्रकाश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट द्वितीय गोण्डा ने सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 01 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. ओम प्रकाश तिवारी पुत्र रामशरण तिवारी नि0 देवरिया कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–250/2021, धारा 498ए, 302 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 30.11.2023</u>

थाना धानेपुर क्षेत्र अन्तर्गत घटित दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 29.11.2023 को दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों–रामप्रीत वर्मा, 02. श्रीमती सीता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों द्वारा मृतका के पति व उसके परिजनों के साथ मिलकर वादी वीरेन्द्र कुमार वर्मा की बहन की दहेज के लिए हत्या कर शव को सुग्गापुर के पास विसुही नदी के किनारे दफना दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रामप्रीत वर्मा पुत्र जनक राम वर्मा नि0 कोनिया बनकट मौजा नदावर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. सीता देवी पत्नी रामसूरत वर्मा नि0 ग्राम सुग्गापुर मौजा डेबरीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–364/23, धारा 498ए,304बी,201 भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

थानाध्यक्ष धानेपुर अंकुर वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.11.2023

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 30.11.2023 को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त पिन्टू तिवारी उर्फ दुर्गा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी सुधा देवी के पति को जमीनी विवाद के चलते आत्महत्या के लिये प्रताड़ित किया था। जिससे वादिनी के पति ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. पिन्टू तिवारी उर्फ दुर्गा शंकर पुत्र रामस्वरूप तिवारी नि0 ग्राम अर्जुनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–178/22, धारा 323,306 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 प्रदीप कुमार तिवारी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.11.2023

थाना को0नगर पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 30.11.2023 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर रेलवे गैराज के पास से अभियुक्त अभिमन्यू उर्फ मन्नू शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 160 अल्प्राजोलम की नशीली गोलिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अभिमन्यु उर्फ मन्नू शुक्ला पुत्र स्व0 रमेश शुक्ला नि0 भटवलिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–1011/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 160 अल्प्राजोलम टैबलेट।

गिरफ्तार कर्ता–

उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.11.2023

गोण्डा पुलिस का गैर जमानती वारण्टियों के विरूद्ध बडी कार्यवाही, विशेष अभियान के तहत 19 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्लू) के सम्बन्ध में विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 30.11.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 19 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों (इटियाथोक पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 02, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 03, थाना छपिया पुलिस ने 03, थाना करनैलगंज पुलिस ने 04, थाना कटराबाजार पुलिस ने 04, थाना कौड़िया पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो विभिन्न मा0न्यायालयों से काफी दिनों से वांछित चल रहे थे।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.11.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी अभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 30,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 30.03.2018 को अभियुक्त विजयी उर्फ विजय कुमार ने थाना खोड़ारे क्षेत्र के रहने वाले एक लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था तथा उसे बुरी तरह मारा–पीटा था जिससे उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री के0पी0 सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना खोड़ारे के पैरोकार आरक्षी रवि उपाध्याय के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय एस0सी0एस0टी0 कोर्ट गोण्डा ने सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. विजयी उर्फ विजय कुमार पुत्र छेदी वर्मा नि0 ग्राम सहनापुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–38/2018, धारा 377,302 भादवि, 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

अधिवर्षता सेवा पूर्ण करने वाले 03 पुलिस कर्मी हुए सेवानिवृत–

आज दिनांक 30.11.2023 को जनपद गोण्डा में नियुक्त उ0नि0ना0पु0 श्री कामेश्वर चौधरी, उ0नि0ना0पु0 श्री रमाकान्त यादव, मु0आ0स0पु0 श्री सुरेन्द्र नाथ राय पुलिस सेवा में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत पर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज ने पुलिस लाइन सभागार में उन्हें फूलमाला पहनाकर, अंग वस्त्र व धार्मिक पुस्तके भेटकर विदाई दी तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।

इस दौरान आर0 आई गोण्डा श्री राकेश कुमार सिंह, प्रधान लिपिक बाबू कल्याण दीक्षित, अंकिक बाबू श्री संतोष सिंह व अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.11.2023

गोण्डा पुलिस का गैर जमानती वारण्टियों के विरूद्ध बडी कार्यवाही, 48 घण्टे के विशेष अभियान के तहत 49 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्लू) के सम्बन्ध में विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 49 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों (को0 देहात पुलिस ने 01, थाना इटियाथोक पुलिस ने 03, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 06, थाना धानेपुर पुलिस ने 06, थाना छपिया पुलिस ने 03, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना नवाबगंज पुलिस ने 02, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 06, थाना करनैलगंज पुलिस ने 06, थाना कटराबाजार पुलिस ने 06, थाना कौड़िया पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो विभिन्न मा0न्यायालयों से काफी दिनों से वांछित चल रहे थे।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.11.2023

यातायात माह का हुआ समापन, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात माह– नवम्बर 2023 का वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर किया गया समापन–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपर पुलिस गोण्डा श्री शिवराज द्वारा आज दिनांक 30.11.2023 को गुरूनानक चौक पर यातायात माह–नवम्बर 2023 का समापन किया गया । यातायात जागरुकता के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रैफिक पुलिस होगगार्ड व पी0आर0 डी0 के जवानो व वाहन चालको, टैम्पू व ई–रिक्शा वाहन के चालकों को यातायात नियमों से सम्बंधित जानकारियाँ दी गयी। सड़क सुरक्षा यातायात माह नवम्बर 2023 जागरूकता अभियान को अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दो पहिया चालको को हेलमेट वितरित कर यातायात माह का समापन किया गय । विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी शासन के निर्देशानुसार नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कराने हेतु लोगों को हेलमेट पहनने, सेफ्टी बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित करते हुए सावधानी पूर्वक रोड पर चलने, यातायात नियमों का पालन करने हेतु विस्तार पूर्वक बताया गया एवं रोड सेफ्टी के प्रति लोगो को जागरुक किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति जागरुक रहकर उनका पालन करने की अपेक्षा की गयी।